आरईसी लिमिटेड

सीआईएनः L40101DL1969GOI005095

<u>स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए नियम व शर्तें</u>

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों सहित कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय, यानी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर जैसा भी उचित समझा जाए, कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की नियुक्ति लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा सुझाए गए नियमों और शर्तों के अधीन है।

कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को सामान्यतः भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है। कंपनी के नियमों के अनुसार टीए/डीए के भुगतान के अलावा, स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी के बोर्ड/समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। बैठक शुल्क आरईसी के निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर तय किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित सीमा के अंदर है।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी के विनियमों, डीपीई के दिशा-निर्देशों और "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संहिता", “नामित व्यक्तियों और उनके नजदीकी संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्टिंग करने तथा उचित प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता” सहित कंपनी की विभिन्न नीतियों के लागू प्रावधानों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।